न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2023/37

1. कृष्णा गुप्ता पत्नी श्री दीपक नन्दी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 375, राणी सती नगर, गौतम मार्ग, किंग्स रोड, जयपुर।
2. पुष्पा गोयल पत्नी श्री कैलाश चन्द गोयल जाति महाजन निवासी मकान नंबर 56/03, रजत पथ, मानसरोवर जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार गोयल पुत्र श्री अमर चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. कमल शर्मा पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री गणेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम दहमी खुर्द, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. ग्यारसीलाल पुत्र गोदू
5. घासीराम पुत्र गोदू
6. प्रभूनारायण पुत्र गोदू
7. मंगल पुत्र हनुमान
8. मदनलाल पुत्र गोदू
9. मनीष चौधरी पुत्र जगदीश
10. राहुल कुमार पुत्र जगदीश
11. रोडूराम पुत्र भगवान

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. लालचन्द शर्मा पुत्र श्री घासीराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक: 23.06.2023**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 55 पुराना 110 के खसरा नंबर 821 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 841 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 844 रकबा 0.1100 हैक्टेयर खसरा नंबर 846 रकबा 0.1500 हैक्टेयर खसरा नंबर 849 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.1500 हैक्टेयर राजस्व ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया पटवार हल्का देवलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 का हिस्सा 3/16 एवं वादी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं जिसको वादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजी का काश्त करने के हिसाब से मौखिक बंटवारा मौके पर हो रखा है, तथा वादी संख्या 1 व 2 की कब्जेशुदा हिस्से अनुसार खातेदारी की आराजी एक दूसरे के लगवा हैं, और उसी अनुसार वादीगण काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित है तथा वादग्रस्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त विवादग्रस्त आराजी का आपसी रजामंदी से अपने हिस्से अनुसार विभाजन कर लिया था उक्त विभाजन के अनुसार ही वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी को वादीगण ने उन्नत एवं विकसित कर लिया हैं, तथा वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी को अपनी आवश्यकतानुसार और अधिक उन्नत एवं विकसित करना चाहते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि वादीगण अपनी आराजी का विधिवत विभाजन करा लें। भविष्य में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का तनाजा उत्पन्न ना हो इस हेतु वादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कब्जे एवं मौके के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में करा लेना चाहते है। इस हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा, पहले तो वह आश्वस्त करते रहे। लेकिन दिनांक 09.03.2023 को प्रतिवादीगण दीगर व्यक्ति के साथ मौके पर आये और संयुक्त खातेदारी की भूमि को दीगर व्यक्तियों को दिखाने लगे। जिस पर वादीगण ने उनसे पूछा तथा विधिवत विभाजन हेतु आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गये। जिससे व्यथित होकर वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य दिनांक 09.03.2023 ही वाद प्रस्तुतिकरण का कारण है जो मौके पर निरन्तर जारी हैं।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विभाजन किया जावे कि खाता संख्या नया 55 पुराना 110 के खसरा नंबर 821 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 841 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

6000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 844 रकबा 0.1100 हैक्टेयर खसरा नंबर 846 रकबा 0.1500 हैक्टेयर खसरा नंबर 849 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.1500 हैक्टेयर राजस्व ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया पटवार हल्का देवलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का हिस्सा 3/16 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/16 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जे काश्त व मौखिक व मनबंट विभाजन के आधार पर अपने हिस्से अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे भूमि विवादग्रस्त का उचित विभाजन होने तक व उसके पश्चात् वादीगण की तन्हा हिस्से व खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त तथा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, बाधा न स्वयं करें न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करावें, तथा विभाजन होने तक किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, व 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, व 12 ने वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण के साथ स्वयं का भी मौके व कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने हेतु निवेदन किया व प्रस्तुत वाद पर अनापत्ति की।

प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 की तामील रिपोर्ट एक माह बाद भी प्राप्त नही होने पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 की तामील की प्रज्जमसन् मानते हुए उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, व 12 के अधिवक्ता ने वाद में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या नया 55 पुराना 110 ग्राम हरचन्दपुरा वास देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिवत तकासमा नही हुआ है इसलिए वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 55 पुराना 110 के खसरा नंबर 821 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 841 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 844 रकबा 0.1100 हैक्टेयर खसरा नंबर 846 रकबा 0.1500 हैक्टेयर खसरा नंबर 849 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.1500 हैक्टेयर राजस्व ग्राम हरचन्दपुरा बारा देवलिया पटवार हल्का देवलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्रस उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4707 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	कृष्णा गुप्ता पत्नि दीपक नन्दी जाति महाजन निवासी 375, राणी सती नगर गौतम मार्ग किंग्स रोड जयपुर	821 मि. 838 मि.	0.2131 0.3775	बा.2 बा.2
	योग	02	0.5906	
2	पुष्पा गोयल पत्नि कैलाशचन्द गोयल जाति महाजन निवासी 56/03 रजतपथ, मानसरोवर जयपुर।	821 मि.	0.1969	बा.2
3	कैलाशचन्द अग्रवाल पुत्र गणेश नारायण जाति महाजन नि. दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।	838 मि.	0.2188	बा.2
4	कमल शर्मा पुत्र प्रभातीलाल जाति हरि. ब्राहम्ण नि. भांकरोटाकलां	838 मि. 841 मि.	0.0837 0.3194	बा.2 बा.2

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

	तहसील सांगानेर जिला जयपुर।	849 मि.	0.1000	बा.2
	योग	**03**	**0.5031**	
5	अनिल कुमार पुत्र अमर चन्द जाति महाजन नि. दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर	840 मि. 841 मि. 849 मि.	0.0450 0.4381 0.0200	बा.2 बा.2 बा.2
	योग	**03**	**0.5031**	
6	लालचन्द पुत्र घासीराम जाति हरि. ब्राहम्ण सा.देह	840 मि. 841 मि. 846 मि.	0.0350 0.5000 0.0775	बा.2 बा.2 बा.2
	योग	**03**	**0.6125**	
7	ग्यारसीलाल, घासीराम, प्रभूनारायण, मदनलाल पि. गोदू जाति जाट सा. देह हि.ब.हि.	841 मि.	0.1969	बा.2
8	मंगल पुत्र हनुमान हि. 1/2 मनीष चौधरी, राहुल कुमार पि. जगदीश हि. 1/2 जाति जांट सा.देह	841 मि. 844 846 मि.	0.0800 0.1100 0.0725	बा.2 बा.2 बा.2
	योग	**03**	**0.2625**	
9	रोडूराम पुत्र भगवान जाति जाट सा. देह	841 मि.	0.0656	बा.2

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति बहस नियत की गई। वकील उभयपक्ष ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत कुर्रेज़ात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

अतः तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीया व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

कृष्णा गुप्ता

बनाम

अनिल कुमार व अन्य

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2023/37

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, व 12 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीया व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

.... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बरावा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.06.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय